

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर भोपाल-462023

क्रमांक/अति.शि./2026-27/ 01

भोपाल, दिनांक 02/07/2026

प्रति

स्पष्टीकरण

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र।
3. समस्त संकुल प्राचार्य हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल मध्यप्रदेश।
4. समस्त शाला प्रभारी शासकीय विद्यालय, स्कूल शिक्षा विभाग।


विषय:- शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अतिथि शिक्षक री-ज्वाइनिंग के सम्बन्ध में ।

संदर्भ:- संचालनालय का पत्र क्र./अ.शि./652-653 दिनांक 30.06.2026 ।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के बिंदु क्रमांक- 2 की कंडिका 2.4 में सत्र में अतिथि शिक्षक 90% या 90% से अधिक ई-अटेंडेंस के आधार पर री-ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट कर सकेंगे का उल्लेख किया गया है ।

उक्त परिपेक्ष्य में स्पष्ट किया जाता है, कि सत्र से तात्पर्य (माह फरवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक 90% या 90% से अधिक ई-अटेंडेंस है एवं इसी अवधि का नियमित रूप से मानदेय प्राप्त से है) उक्त कार्यवाही हेतु भविष्य में यह व्यवस्था सम्पूर्ण सत्र की ई-अटेंडेंस के आधार पर की जाएगी ।

उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।


(के.के.द्विवेदी)

संचालक


लोक शिक्षण, म.प्र.

भोपाल, दिनांक 02/07/2026

पृ.क्रमांक/अति. शि./2026-27/ 02

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन।
2. सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग।
3. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
4. महाप्रबंधक निक्सी, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित ।
5. कलेक्टर समस्त जिले।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले।
7. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी।


(के.के.द्विवेदी)

संचालक

लोक शिक्षण, म.प्र.

